न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–98/2021

भारती ओझा.....वादिनी

बनाम

शारदा देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.04.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादीगण की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 05.10.2023 पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 05.10.2023 में कहा गया है कि प्रतिवादी सं0–01, 02 तथा 04 श्रीमान् के न्यायालय में उपस्थित होकर बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु समयावेदन दिये। प्रतिवादीगण को अपना बयान तहरीरी तैयार कराने के लिए कुछ आवश्यक कागजात की जरूरत थी जो उपलब्ध नही था जिसकी खोजबीन करने में समय लगा। जिस कारण प्रतिवादीगण अपना बयान तहरीरी समय से तैयार कराकर दाखिल नही कर सके। दूसरा कारण वादी अपने वादपत्र में प्रतिवादी सं0–03 का नाम गलत दर्ज किया था। जिसका सुधार करने हेतु वादी आवेदन पत्र दिये तो मालूम हुआ कि वादी प्रतिवादी सं0–03 की जगह पर प्रतिवादी सं0–04 की पत्नी का नाम दर्ज कर रहे है। लेहाजा इस कारण से भी बयान तहरीरी समय से दाखिल नही हो सका। प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब नही किया गया बल्कि परिस्थिति वश कुछ कागजात के अभाव में विलंब हो गया। अगर श्रीमान् के द्वारा विलंब माफ करके आदेश दिनांक 03.02.2023 को वापस लेकर प्रतिवादीगण का बयान तहरीरी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को प्रस्तुत वाद में संघर्ष करने की अनुमति नही दी गयी तो प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण के बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किये गये आदेश दिनांक 03.02.2023 को वापस लेते हुये प्रतिवादीगण का बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा करे। इसके लिए प्रतिवादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगे। वादिनी की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादीगणों को बयान	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–98/2021

भारती ओझा.....वादिनी

बनाम

शारदा देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 04.04.2024	तहरीरी दाखिल करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया था परंतु प्रतिवादीगणों द्वारा जानबुझकर नियत समय में बयान तहरीरी दाखिल नही किया गया। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 दिनांक 28.06.2022 एवं प्रतिवादी सं0–04 दिनांक 02.09.2022 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 03.02.2023 को प्रतिवादीगण को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया तथा प्रतिवादीगण दिनांक 05.10.2023 को अपना बयान तहरीरी न्यायालय में दाखिल किये है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–01, 02 तथा 04 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–01, 02 तथा 04 काफी समय के बाद दिनांक 05.10.2023 को न्यायालय में अपना बयान तहरीरी दाखिल किये है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगणों का आवेदन दिनांक 05.10.2023 मो0–3000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 03.02.2023 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 20.04.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	